

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विवरण

वर्ष 2024

गत वर्ष का केन्द्र कोड C विद्यालय का नामअग्नेषण अधिकारी कोड F

शाला प्रधान का नाम विद्यालय का फोन मय STD कोड प्र/अ (मो.नं.)

परीक्षा का नाम..... वर्ष.....

(उच्च माध्यमिक/व.उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका)

नोट : प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक-पृथक करें।

परीक्षा शुल्क की गणना :-

- (A) सामान्य परीक्षा शुल्क :- कुल परीक्षार्थी \times 650/- = रु.
- (B) एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित :- कुल परीक्षार्थी \times 1300/- = रु.
- (C) टोकन शुल्क (विशेष योग्यजन परीक्षार्थी/सैनिकों के आश्रित) :- कुल परीक्षार्थी \times 50/- = रु.
- (D) (i) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (एक विषय) :- कुल परीक्षार्थी \times 100/- = रु.
- (ii) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (दो विषय) :- कुल परीक्षार्थी \times 200/- = रु.
- (iii) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (तीन विषय) :- कुल परीक्षार्थी \times 300/- = रु.

कुल राशि रु. _____

कुल आवेदन पत्र.....

परीक्षा शुल्क (On Line) जमा कराने का विवरण :-

1. ट्रान्जेक्शन नं. दिनांक रुपये बैंक ब्रांच :
2. ट्रान्जेक्शन नं. दिनांक रुपये बैंक ब्रांच :
3. ट्रान्जेक्शन नं. दिनांक रुपये बैंक ब्रांच :

दिनांक.....

ह. (अग्नेषण अधिकारी)

सील मय कोड के

नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा पूर्ति

उपरोक्तानुसार विद्यालय से.....आवेदन पत्र तथा चालान रसीदें..... प्राप्त किये। सभी आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के अन्तर्गत हैं।

दिनांक.....

ह. (नोडल केन्द्र प्रभारी)

नोडल केन्द्र संख्या.....

सील

- नोट :- 1. उपरोक्त प्रपत्र तीन प्रतियों में भरा जावे। एक प्रति संबंधित शाला में रहेगी। एक प्रति नोडल केन्द्र प्रभारी के पास रहेगी तथा एक प्रति अग्नेषण सूची, आवेदन-पत्रों एवं परीक्षा शुल्क के विवरण के साथ बोर्ड को भेजी जावे।
2. विद्यालयों से संशोधन हेतु अस्थायी आवेदन पत्र (Provisional Form for correction) किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जाए। चूंकि उक्त अस्थायी आवेदन पत्र बिना फीस के डाऊनलोड किये जाते हैं। डाऊनलोड पश्चात् शुल्क के चालान की प्रति निकालकर शाला प्रधान द्वारा परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करवाने के पश्चात् चालान के ट्रान्जेक्शन नं. से आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी निकाली जाती है जिन पर चालान नं./ट्रान्जेक्शन नं. लिखा होता है। केवल वही आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी जमा करें। Provisional form for correction वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे अन्यथा समस्त जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी।